

EXTRAORDINARY भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478] No. 478] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 18, 2002/आश्विन 26, 1924 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2002/ASVINA 26, 1924

पोत परिबहन मंत्रालय

(पोत परिवहन खण्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2002

सा.का.नि. 714(अ) — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दीपस्तंभ और दीपपोत विभाग (समूह ''क'' और ''ख'' अतकनीकी पद) भर्ती नियम 1990 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में समूह ''क'' और ''ख'' अतकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

इन नियमों का संक्षिप्त नाम दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (समूह ''क'' और ''ख'' अतकनीकी पद) भर्ती नियम 2002 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

 लागू होना: ये नियम इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमानः उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
 4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदिः उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताए और

उनसे संबंधित अन्य वातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

(1)

2 GI/2002

(1)

5. निरहंताः वह व्यक्ति-

(क) ाजसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया हैं, या

(छा) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखाबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. ट्यावृतिः इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			अनुसूची			
पद का नाम	पदों की व संख्या	र्गीकरण	वेतनमान	चयन सह ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अच्यन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षो का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
	2. 3	r	4.	5.	6.	7.
	(2002) सेव राज अन् कार्यभार के आधा	ा समूह' क' नपत्रित, रुसचिवीय र	द्रीय10000-325- 15200 रूपये	चयन	लागू नहीं होता	नहीं
व्यक्ति यों के लिए	अपेक्षित	व्यति और व्यवि	कयों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं प्रो कयों की दशा में ल	आयु न्नत	परिवीक्षा की यदि कोई हो	
	1 (1) प्रशासनिक अधिकारी सीधे भर्ती किए व्यक्ति यों के लिए	संख्या 1 2. 3 (1) प्रशासनिक अधिकारी 1* (2002) सेव राज अन् * कार्यभार के आधा पर परिवर्तन किय	संखया <u>1</u> <u>2</u> <u>3</u> (1) प्रशासनिक अधिकारी <u>1</u> साधारण केन (2002) सेवा समुह' क' राजपत्रित, अनुसचिवीय * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधे व्यक्ति यॉ के लिए अपेक्षित व्यक्ति श्वीक्षिक और अन्य अर्हताएं और	पद का नाम पदों की वर्गीकरण वेतनमान संख्या <u>1</u> <u>2</u> <u>3</u> <u>4</u> <u>1</u> <u>3</u> <u>4</u> <u>1</u> <u>4</u> <u>1</u> <u>4</u> साधारण केन्द्रीय 10000-325- <u>1</u> (2002) सेवा समुह' क' <u>15200 रूपये</u> <u>1</u> राजपत्रित, <u>3</u> अनुसचिवीय <u>1</u> कार्यभार के आधार <u>1</u> पर परिवर्तन किया <u>1</u> जा सकता है। <u>1</u> सीधे भर्ती किए जाने वाले <u>2</u> व्यक्तियों के लिए अपेक्षित <u>3</u> जीह की र अन्य अर्हताएं <u>3</u> र रीक्षिक अर्हताए प्रो	पद का नाम पेतों की वर्गीकरण वेतनमान चयन सह संख्या जेयेखता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अच्ययन पद 1 2. 3. 4. 5. 1 2. 3. 4. 5. 1 2. 3. 4. 5. (1) प्रशासनिक अधिकारी 1* साधारण केन्द्रीय 10000-325- चयन (2002) सेवा समूह' क' 15200 रूपये राजपत्रित, अनुसाचिवीय * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शेक्षिक और अन्य अर्हताएं आग्रत, व्यक्तियों की दिश में लागू,	पद का नाम पेदों की वर्गीकरण वेतनमान चयन सह सीधे भर्ती संखेया ज्येष्ठता या किए जाने योग्यता के वाले व्यक्तियों आधार पर के लिए आयु चयन अथवा सीमा अच्यन पद 1 2. 3. 4. 5. 6. (1) प्रशासनिक अधिकारी 1* साधारण केन्द्रीय10000-325- ययन लागू नहीं (2002) सेवा समूह' क' 15200 रूपये होता राजपत्रित, अनुसचिवीय * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। रिधि भर्ती किए जाने वाले परिविक्ता की व्यक्तियों के लिए अपेक्षित और अन्य अहंताएं और शीक्षक अहंताएं प्रोन्नत व्यक्ति यों की दशा में लागू

	पत्र : असाधारण
e de 8. hour police en estas de la company 9.	10.
लागू नहीं होता	्वी वर्ष
भर्ती की पद्ध तिः भर्ती सीधे होगी या	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ता की दशा में वे श्रेणियाँ
प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन जिनसे प्र द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	ed diff a many shift in the so-
den fe 11.hz afgefela er sa are sera y a	12.
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने	ऐसे कार्यकारी अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 7 वर्ष नियमित सेवा की है।
ति प्राणः स्वानि के दिप्पणः स्वानि के स्वानि के स्वानि के स्वानि के स्वान	जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोज़ति के लिए विचा किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जव कि उनक
	द्वारा की गई ऐसी अईक/गात्रता सेवा, अपेक्षित अईव पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इन जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे क व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अईक/पात्रता सेवा पह ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति वे लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी क ली हो।
प्रतिनियुक्ति	
(क)(l)	जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश धारण किए हुए हैं, या
	जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 8000-13500 रूपये
(II)	समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के
(II)	
(11)	समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के
	समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हैं, या
	समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हैं, या जिन्होने मूल काडर/विभाग में 6500-10500 रूपये
	समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हैं, या जिन्होने मूल काडर/विभाग में 6500-10500 रूपये समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3(i)]

4

(॥) वांछनीयः टिप्पणः 1. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	प्रशासन, लेखा और स्थापन संबंधित कार्यो में 5 वर्ष क अनुभव है। प्रकाश स्तंभ से संबंधित कार्य का अनुभव। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/ संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होंगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीखा को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13.	14.
प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति:-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष
 संयुक्त सचिव, भारत सरकार पोत परिवहन मंत्रालय 	सदस्य
 महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत्त महानिदेशालय 	सदस्य
1 2. 3. 4.	5. 6. 7.
(2)कार्यकारी 7* साधारण केन्द्रीय 7450- अधिकारी (2002) सेवा समूह' खां 11500 राजपत्रित, अनुसचिवीय	225- चयन 30 वर्ष नहीं) रूपये से अधिक नहीं

				and the second s
			टिप्पणः १	केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार
	*कार्य भार के आधार			सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक
	पर परिवर्तन किया			शिथिल की जा सकती है।
	जा सकता है		टिप्पण:2	आयु-सीमा अवधारित करने के लिए
		States a	10 -1-1-2	निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से
				आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की
	ander & print & street b			गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह
				अंतिम तारीखा जो असम, मेघालय,
				अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,
				नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम,
	ning service som hieron	in the		जम्मू-कश्मीर राज्य के लदाखा खांड,
				हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति
	and a state to a			जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपसंड,
	E. Ban flep hits by stalla Fi			अंडमान और निकोबार द्वीप या
	अगर्थ केनी केन्सालने साथ घोलां			लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित
8.	init i			की गई है) ।
0.		9.		10.
वश्यकः (।)	किसी मान्यता प्राप्त	नहीं		सीधे भर्ती किए जाने वाले
	विश्वविधालय से उपाधि			व्यक्तियों तथा प्रोन्नत व्यक्तियों
	या समतुल्य			के लिए एक वर्ष
(11)	किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी			
	संगठन में प्रशासन, लेखा तथा			
	स्थापन संबंधी कार्यों का 3 वर्ष			
	का प्रशासनिक अनुभव।			
ब्र नीयः	प्रकाश स्तंभों से संबंधित कार्य का	अनुभव।		ा जा तिसार करने के तिए समूह रहा "
11.	परान्ध्र सम्पर्ध सम्पर्ध	a man	12.	source pendit ellipping was a
	सके न हो सकने	प्रोन्नतिः		जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष
प्रतिनियुक्ति न हो सकने	द्वारा और दोनों		नियमित सेवा	की है।
न हा सकन	पर साध	दि प्राणः	जनां गेसे कवि	ष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी
1		10 -101.		र्ण प्यक्तियों के संबंध भें, जिन्हान अपना सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार
			The second second	हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में
				ग जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके
No. of the local sector				रेसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/
				आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से
				, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ
				, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले 🔹
and the second				है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के
				रेवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर
			ली हो।	and the second second

ली हो।

THE GA	ZETTE	OF INDIA	: EXTRA	ORDINA	RY
--------	-------	-----------------	---------	--------	----

6

[PART II-SEC. 3(i)]

		DI IL OI	I AKI II—SEC. 3(1)
	त्र प्रजी तेलक को संस्थान को लिये प्रति	नियुक्तिः-	केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी:-
		5)(l)	जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद
	िये में मिलती दिवया के लिए 8 वेष तक		धारण किए हुए हैं, या
•		(11)	जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 6500-10500 रूपये या
	2 आयुक्तीमा अन्यापित कर्मत के देवल	inter St	. समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के
			पश्चात उस श्रेणी में 2 वर्ष सेवा की हैं, या
	मान्य मान्द्र करने के लिए सितास	(111)	जिन्होने मूल काडर/विभाग में 5500-9000 रूपये या
			समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में
			नियमित आधार पर 5 वर्ष सेवा की है, और
		(ন্তা)	जिनके पास स्तंभ 8 में सीधे भर्ती किए जाने वाले
			व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव
			है।
	टिप्पण	η: 1.	पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की
			सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार
			किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त
	भीके कृति के विद्यालय का महिराय का तथा ह		व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के
	1 1 2 20 12		पात्र नहीं होंगे।
	टिप्पण	T: 1.	प्रतिनियुक्ति/ संविधा की अवधि, जिसके
			अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य
			संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी
	and a star and a star and a star and a		अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि
	一、"你们"你不可能的问题。		है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होंगी। प्रतिनियुक्ति
	se fels white		पर नियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)
			के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की
			अंतिम तारीखा को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
	13.		14.
	पर विचार करने के लिए समूह 'खा' य प्रोन्नति समिति:-		भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग
विभागा	य प्राञात सामात:-		से परामर्श करनाआवश्यक है।
	the artificts and should be		भारत के से केले में प्रति में के केले साथ, समय
1.	महानिदेशक , दीपस्तंभ और	क्लीक्ल	र विविधियां के बाद सोह से व
	दीपपोत महानिदेशालय		
2.	प्रशासनिक अधिकारी, दीपस्तंभ और	is to prove	अध्यक्ष
	दीपपोत महानिदेशालय	-	भदस्य
3.	एक बाहरी सदस्य जो अवर सचिव की पंक्ति	in and	
	से नीचे का न हो (अनुसूचित जाति/अनुसूचि	त	
	जनजाति के अधिकारी को अधिमानता दी जा		नद स्य
	17		

[फा.सं. एल एच-13012/1/2000-एस एल] एम. रामाचंद्रन, संयुक्त सचिव MINISTRY OF SHIPPING (SHIPPING WING) NOTIFICATION New Delhi, the 18th October, 2002

G.S.R. 714(E).— In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Lighthouses and Lightships (Group 'A' and Group 'B' Non-Technical Posts) Recruitment Rules, 1990 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' and Group 'B' Non-Technical posts in the Directorate General of Lighthouses and Lightships namely:-

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called the Directorate General of Lighthouses and Lightships (Group 'A' and Group 'B' Non-Technical Posts) Recruitment Rules, 2002.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Applications - These rules shall apply to the posts specified in Column (1) of the Schedule annexed to these Rules.

3. Number of posts, Classification and Scales of Pay - The number of the said posts, their classifications and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

5. Disqualifications - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(i)]

7. **Saving** - Nothing in these rules shall affect relaxation of age limit, reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number	Classifica-	Scale	Whether	Age limit	Whether
	of post	tion	of Pay (Rs.)	Selection by merit or Selection- cum- Seniority or Non-	for direct recruits	benefit of added years of service admissible
		unitati curitati N		Selection Post	in Rocky	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Administrative Officer	* 1* (2002) *Subject to variation dependent	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	10000- 325- 15200	Selection	Not applicable	No
te specified	on workload	ilasifilisup 1	anto Jim	n said Soper ment, age	ino la (costa la L	k) enmulo Brasile) ()

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	NO	2 Years	Promotion failing which by deputation

[भाग]	-खण्ड	3(i)]
-------	-------	-------

भारत का राजपत्र : असाधारण

0

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which	If a Departmental Promotion	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be
promotion/deputation/absorption to be made.	Committee exists, what is its composition	consulted in making recruitment
(12)	(13)	(14)
Promotion:	Group 'A'	Consultation with Union
Executive Officers with 7 years' regular	Departmental	Public Service
service in the grade.	Promotion	Commission necessary.
	Committee for	pointing of igstation
Note: Where juniors, who have completed	considering	and the brings of the
their qualifying/ eligibility service are	promotion.	no demoissingly and an
being considered for promotion, their seniors would also be considered,	1. Chairman/	as ristribereni dibde ta
provided they are not short of the requisite	Member, Union	sause set of destatuing
qualifying/ eligibility service by more than	Public Service	gaalastimidepartment - ge
half of such qualifying/eligibility service	Commission	ndenativo kais (mandro
or two years, whichever is less, and have	- Chairman	dumizen alle can
successfully completed their probation	is ion based	politimatedy edeputation
period for promotion to the next higher	2. Joint Secretary	occding 56 years as on the
grade alongwith their juniors, who have	to the	cept of applications.
already completed such qualifying/	Government of	and the second
eligibility service.	India, Ministry	Lange i 24 range
Deputation:	of Shipping	
Officers of the Central Government: -	- Member	o paidu?
(a) (i) Holding analogous posts on regular.	3. Director	roliziusv
basis in the parent cadres/ Department; or	General of	escolution application and and
(ii) With 5 years service in the grade	Lighthouses and	Angewood the needed of
rendered after appointment thereto on	Lightships	THE REAL PROPERTY.
regular basis in the scale of pay of Rs.	-Member	Server Of White Marte
8000-13500 or equivalent in the parent		
cadre/department; or.	nmoul sorvants	1: Relax-able for Goven
		1 15 years in liceon
(iii) with 8 years service in the grade	by the Collinal	General restriction to thomas
rendered after appointment thereto on		main search and training
regular basis in the scale of pay of		
Rs.6500-10500 or equivalent in the parent		2: The cracial date for a
cadre/ department; and		finit shall be the steamer
(b) Possessing the following educational qualifications and experience:		philotona from condition
qualifications and experience: -		che closine dulla criede site
Essential :		in Meghalaya' Arinae aon Manipur, Nagel
(i) Degree of a recognised university or		in. Laust Division o
equivalent.		ol and Spit distant a
to demonstrate of experience in the		toine of Chamba is not
(ii) 5 years experience in Administration,		sch. Andaman d' Naco
Accounts and Establishment matters.		manalid

323261/02-3

		(13)	•	(14)
(12)		(13)	and for	(14)
Desirable:-		1110-00 11110-00		CONST. Of GBRONER
Experience in work relating to Lighthouses. <u>Note 1</u> : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. <u>Note 2</u> : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not			ini q 19 19 hor 19 hor 19 hor 19 hor 19 hor 19 hor	
exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. (1) (2) (3) 2. Executive 7* (2002) General Cent	tral	(4	I) 25-	(5) Selection
Officer *Subject to 'B', Gazetted variation dependent on workload.	- 1	11500	ntanan posts oqu oqu oqu oqu oqu	 Incra of des Central Gos (i) H (dang Madagong Independent of des here (ii) M (dang Madagong
(6) 20-4861	(7)	ince:	(8)
Not exceeding 30 years. Note 1: Relax-able for Government servants upto 5 years in accordance with the nstructions or orders issued by the Central Government Note 2: The crucial date for determining the uge limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya ,Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal		0	Unive ii) 3 Admir establ Gover Gover Desir Exper	tial egree of a recognised risity or equivalent. years experience in nistration, accounts and ishment matters in rnment/ Semi rnment Organisations.

[भाग I — खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(9)	(10)	(11)	(12)
NO	1 year for Direct Recruits and Promotees.	Promotion failing which by deputation failing both by Direct Recruitment.	<u>Promotion: -</u> Superintendents with 5 years' regular service in the grade.
omment Le	deputedion on deputedion on anotation vector anotation of anotation of anotation of deputedion		Note 1: Where juniors, who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying/ eligibility service.
	ions.	alique in al applic	Deputation:-
			Officers of the Central Government: -
bile Service asing direct	(F4) PA npinU Cr phile (cases	Convision of Convi	(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department ; or
			(ii) with 2 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs.6500-10500. or equivalent in the parent cadre/ department; or
			(iii) With 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs.5500- 9000 or equivalent in the parent cadre/department; and
La sportano any investigation			(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in Col. 8.

THE GAZETTI	OFINDIA	EXTRAORDINARY
-------------	---------	---------------

12

	(10)	(11)	(12)
beolymes to	n sont solo in A "Agoy A Theo Call Call Marine Solo in A Standard	Promotion.	Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
	initia and initial and initiada and initiada and initiada and initiada and initiada and in	rent berefinites notices of all many mine for any mine for any mine of the second of t	Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion	Consultation with Union Public Service
Committee for considering promotion	Commission necessary while making direct recruitment.
 Director General of Lighthouses and Lightships - Chairman 	
2. Administrative Officer, Directorate General of Lighthouses and Lightships - Member	
3. An outside member not below the rank of Under Secretary (preferably belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe) - Member	

[F. No. LH-13012/1/2000-3L] M. RAMACHANDRAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2002